

राजस्व न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, दुमका

अनुसू 14 फारम सं० 5651
 बोर्ड फारम सं० 508

(बोर्ड के आदेश सं० 4116 बी ता० 12-8-11 में अनुमोदित)

(स्थायी रूप से स्थायी)

संयुक्त मुख्य - पृष्ठ और पत्रावरण
 (देखें नियम 127 अभिलेख-हस्तक, 1991)

..... विभाग

(पहला पन्ना)

S.R. केस नं० 12/1314 वर्ष रजिस्टर सं०
127/07-08 इस्टेट परगना तौजी सं०
 अर्जीकार - कदरु इस्लर प्रतिपक्षी 16 धाना रैयत

अधिनियम सं० वर्ष के अधीन

निर्णय की तारीख अभिलेखागार में प्राप्त होने की तारीख

क्र० सं०	कागज का वर्णन	किस तारीख को फाईल किया गया	पत्रों की संख्या	स्टाम्पों का मूल्य	कागज की श्रेणी	अध्युक्ति
	2	3	4	5	6	7
1						18.10.13

11

जे कम
और

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर


आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी, तारीख
सहित

6-22

अभिलेख उपस्थापित ।

आवेदक अनुपस्थित / अभिलेख

दि 26-8-22 को रखें ।



श्रीम सुब्बा उपसमाह्विता
दुमका ।

26-8-22

अभिलेख उपस्थापित ।

आवेदक अनुपस्थित / अभिलेख

दिनांक 28-10-22 को रखें ।



श्रीम सुब्बा उपसमाह्विता
दुमका ।

28-10-22

अभिलेख उपस्थापित ।

आवेदक अनुपस्थित । अभिलेख दिनांक

18-11-22 को रखें ।



श्रीम सुब्बा उपसमाह्विता
दुमका ।

18-11-22

अभिलेख उपस्थापित ।

आवेदक अनुपस्थित । अभिलेख दिनांक

23-12-22 को रखें ।


श्रीम सुब्बा उपसमाह्विता
दुमका ।

आदेश और
कार्रवाई
टिप्पणी, तारीख
सहित


आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
--------------------------------	--

अभिलेख उपस्थापित।
अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि उभयपक्ष लगातार अनुपस्थित है। जिससे प्रतीत होता है कि उभय पक्ष की वाद में कोई अभिरूची नहीं है। फलस्वरूप वाद की कार्रवाई करने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः उभयपक्ष की अभिरूची के अभाव में वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
दुमका।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
दुमका।